

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमोंक: प2(96)जविप्रा/उपा./जोन-12/05/डी- ५५५४

दिनांक:- 27/9/05

जयपुर विकास प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की 97वीं बैठक दिनांक 27.09.2005 का कार्यवाही विवरण।
बैठक में उपस्थित सदस्यों की सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

क्र.सं.	ए.सं.	विषय	सुझाव / निर्णय	सम्बन्धित अधिकारी	अनुपालना
01.	97.1 पृ. सं. 1 से 7	कार्यकारी समिति की 96वीं बैठक दिनांक 29.08.2005 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि।	विचार विमर्श पश्चात कार्यकारी समिति की 96 बैठक की पुष्टि की गई।		
02.	97.2 पृ. सं. 8 से 12	कार्यकारी समिति 96वीं बैठक दिनांक 29.08.2005 में लिए गए निर्णयों की क्रियान्विति रिपोर्ट।	विचार विमर्श पश्चात कार्यकारी समिति की 96 बैठक के अपेक्षित अनुपालना रिपोर्ट आगामी बैठक में रखने के निर्देश दिये गये।		
03.	97.3 पृ. सं. 13 से 40	राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित कृषि भूमि के अकृषि प्रयोजनार्थ रूपान्तरण के प्रकरणों में सड़क मार्गाधिकार की भूमि निःशुल्क समर्पित कराने एवं 90बी में कुल 75 मीटर भूमि जविप्रा के नाम दर्ज होने से उत्पन्न समस्या के सम्बन्ध में	विचार विमर्श पश्चात निर्णय लिया गया कि नेशनल हाईवे के समानान्तर 75मीटर के दायरे में 90बी की कार्यवाही करने के उपरान्त योजना अनुमोदन के समय हरित पट्टी के रूप में (प्लान्टेशन बेल्ट) ही अनुमोदित किया जाये।	उपायुक्त (जोन-11)	
04.	97.4 पृ. सं. 41	जोनल अभियन्ता के 3 पद सृजन बाबत।	विचार विमर्श पश्चात जोनल अभियन्ता के 3 पद सृजन बाबत अनुमति प्रदान की गई।	अतिरिक्त आयुक्त (प्रशासन)	

27/9/05

क्र.सं.	ए.सं.	विषय	सुझाव / निर्णय	सम्बन्धित अधिकारी	अनुपालना
05.	97.5 पृ. सं. 42 से 43	जयपुर विकास प्राधिकरण के सेवानिवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों के आश्रितों/पेंशनर्स चिकित्सा योजना लागू करने बाबत पूर्व निर्णय दिनांक 15.12.04 में संशोधन करने बाबत।	विचार विमर्श पश्चात् प्रस्तुत प्रकरण अनुमोदित किया गया।	अतिरिक्त आयुक्त (प्रशासन)	
06.	97.6 पृ. सं. 44 से 45	श्री जगदीश प्रसाद शर्मा, बेलदार द्वारा मेसर्स वर्धमान इमेजिंग सेन्टर, सन्तोकबा दुर्लभजी हॉस्पिटल में सीटी स्कैन, जांच एवं उपचार पर व्यय की गई राशि के पुनर्भरण बाबत।	विचार विमर्श पश्चात् प्रस्तुत प्रकरण अनुमोदित किया गया।	अतिरिक्त आयुक्त (प्रशासन)	
07.	97.7 पृ. सं. 46	जयपुर विकास प्राधिकरण के लिये राजस्थान प्रशासनिक सेवा संवर्ग के चयनित वेतनमान में निदेशक (भूमि) या विशेषाधिकारी (भूमि) का एक पद सृजन किये जाने की स्वीकृति बाबत।	विचार विमर्श पश्चात् प्राधिकरण में राजस्थान प्रशासनिक सेवा संवर्ग के चयनित वेतनमान में निदेशक (भूमि) या विशेषाधिकारी भूमि का एक पद सृजित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।	अतिरिक्त आयुक्त (प्रशासन)	
0.8	97.8 पृ. सं. 47	डेयरी योजनाओं के भूखण्डों में देरी से जमा राशि का अनुमोदन बाबत।	विचार विमर्श पश्चात् प्रस्तुत प्रकरण में कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई है।	उपायुक्त जोन-12	
0.9	97.9 पृ. सं. 48	भूखण्ड संख्या 187 रमल्यावाला डेयरी योजना की राशि देरी जमा होने के कारण अनुमोदन बाबत।	विचार विमर्श पश्चात् प्रस्तुत प्रकरण में कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई है।	उपायुक्त जोन-12	
अन्य मुद्दे आयुक्त महोदय की अनुमति से					
0.10	97.10	सयुक्त पंजीयक (सहकारिता) का एक नवीन पद सृजित करने बाबत।	विचार विमर्श पश्चात् प्रस्तुत प्रकरण का अनुमोदन किया गया एवं राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु भिजवाने का निर्णय लिया गया।	अति. आयुक्त (प्रशासन)	

27/9/05

क्र.स.	ए.सं.	विषय	सुझाव / निर्णय	सम्बन्धित अधिकारी	अनुपालना
0.11	97.11	श्रीमती परमजीत कौर की ग्राम बायेतावाला तहसील जयपुर के खसरा नम्बर 96 रकबा 113 बीघा भूमि में से 25 बीघा 18 बिस्वा भूमि का रीजनल पार्क से आवासीय प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन बाबत।	विचार विमर्श पश्चात् निर्णय लिया गया कि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों की पालना करते हुये आगे की कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया।	उपायुक्त जोन-6	
0.12	97.12	विशेषाधिकारी (संसाधन विकास) का एक नवीन पद सृजित करने बाबत।	विचार विमर्श पश्चात् प्रस्तुत प्रकरण का अनुमोदित किया गया।	अति.आयुक्त (प्रशासन)	
0.13	97.13	अति.निदेशक (व्यय एवं बजट) का एक नवीन पद सृजित करने बाबत।	विचार विमर्श पश्चात् प्रस्तुत प्रकरण का अनुमोदित किया गया।	अति.आयुक्त (प्रशासन)	
0.14	97.14	निजी सचिव का एक नवीन पद सृजित करने बाबत।	विचार विमर्श पश्चात् जयपुर विकास प्राधिकरण में निजी सचिव का एक नवीन पद सृजित करने का निर्णय लिया गया।	अति.आयुक्त (प्रशासन)	
0.15	97.15	निदेशक (परियोजना) का एक पद पुर्नजीवित किये जाने बाबत।	विचार विमर्श पश्चात् जयपुर विकास प्राधिकरण में निदेशक (परियोजना) का एक पद पुर्नजीवित किये जाने का निर्णय लिया गया।	अति.आयुक्त (प्रशासन)	
0.16	97.16	श्री बसीर हुसैन को करधनी आवासीय योजना (गोविन्दपुरा) में आवंटित भूखण्ड संख्या बी-106 के बड़े हुये क्षेत्रफल की राशि के निर्धारण बाबत।	विचार विमर्श पश्चात् गोविन्दपुरा करधनी आवासीय योजना में बड़े हुये क्षेत्रफल की राशि वर्तमान में प्रचलित आवासीय दर से वसूल किये जाने का निर्णय लिया गया।	उपायुक्त जोन-7	
0.17	97.17	भूखण्ड संख्या 346 रमल्यावाला योजना की राशि दर से जमा होने के कारण अनुमोदन बाबत।	विचार विमर्श पश्चात् प्रस्तुत प्रकरण की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।	उपायुक्त जोन-12	
0.18	97.18	भूखण्ड संख्या 101 रमल्यावाला योजना की राशि दर से जमा होने के कारण अनुमोदन बाबत।	विचार विमर्श पश्चात् प्रस्तुत प्रकरण की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।	उपायुक्त जोन-12	

27/9/05

क्र.स.	ए.सं.	विषय	सुझाव / निर्णय	सम्बन्धित अधिकारी	अनुपालना
0.19	97.19	गोविन्दपुरा सांगानेर योजना में विस्थापित परिवारों के भूखण्ड आवंटनों के नियमितिकरण के सम्बन्ध में।	विचार विमर्श पश्चात प्रस्तुत प्रकरण अनुमोदित किया गया।	उपायुक्त जोन-11	
0.20	97.20	आकांक्षा ओला पत्नी श्री अमिल ओला के छत्रपति गृ.नि.स.समिति लि. की योजना राठौड नगर के पूर्णगठित आवासीय भूखण्ड संख्या 14 व 15 क्षेत्रफल 785.72 वर्गगज का भू-उपयोग उपान्तरण आवासीय से व्यवसायिक (पेट्रोल पम्प हेतु) किये जाने बाबत।	विचार विमर्श पश्चात प्रस्तुत प्रकरण अनुमोदित किया गया।	निदेशक (नगर आयोजना)	
0.21	97.21	श्रीमती सुमनलता यादव भूखण्ड संख्या 20, 21 योजना के-5 (दी कृष्णा हाउसिंग को.सो.) क्षेत्रफल 544.44 वर्गगज आवासीय भूखण्डों को व्यवसायिक (पेट्रोल पम्प) परिवर्तन करने बाबत।	विचारविमर्श पश्चात प्रस्तुत प्रकरण अनुमोदित किया गया।	निदेशक (नगर आयोजना)	
0.22	97.22	मैसर्स धीर स्टील मार्केटिंग प्रा.लि. द्वारा प्रस्तुत राजस्व ग्राम मुहाना तह. सांगानेर के खसरा नम्बर 2021/1 व 2030 रकबा 0.27 हैक्टर आवेदित भूमि में से हरित पट्टी हेतु 569.00 वर्गमीटर भूमि एवं मास्टर प्लान की 250 फिट सड़क में नियत होने वाली भू-पट्टी हेतु 967.00 वर्गमीटर भूमि जविप्रा को निःशुल्क समर्पित करने के पश्चात् 1164 वर्गमीटर	विचारविमर्श पश्चात् प्रस्तुत प्रकरण 1000.00 वर्गगज से अधिक होने के कारण धारा 25(2) के तहत राज्य सरकार को स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जावे।	निदेशक (नगर आयोजना)	

र. क. 27/9/05

14

क्र.स.	ए.सं.	विषय	सुझाव / निर्णय	सम्बन्धित अधिकारी	अनुपालना
		भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण रिक्रेशनल (पार्क, ऑपेन स्पेस, प्लेग्राउण्ड, रजिनल पार्क आदि) उपयोग से वाणिज्यिक (पेट्रोल पम्प हेतु) बाबत।			
0.23	97.23	जविप्रा की चरागाह भूमि ग्राम कलवाडा, भम्भौरिया, झांई तहसील सांगानेर के 644 बीघा भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण बाबत।	विचारविमर्श पश्चात् प्रस्तुत प्रकरण स्वीकृत किया गया। धारा 25(2) के अन्तर्गत कार्यवाही के लिये राज्य सरकार की अनुमति प्राप्त करने हेतु प्रकरण को राज्य सरकार को भेजा जावे।	निदेशक (नगर आयोजना)	
0.24	97.24	Tender for P/L/J of rising main & distribution of various sizes for water supply scheme at Transport nagar, Sikar road, Jaipur	विचारविमर्श पश्चात् प्रस्तुत प्रकरण स्वीकृत किया गया।	जोनल अभियन्ता पी. एच.ई.	
0.25	97.25	अनोखी विल्डर्स प्रा. लि. क पथिक भवन गृ.नि.स.समिति की योजना 9बी के पूर्णगठित आवासीय भूखण्ड सं. 88, 89 व 90 क्षेत्रफल 1323.64 वर्गगज का	विचारविमर्श पश्चात् कार्यकारी समिति द्वारा प्रस्तुत प्रकरण स्वीकृत किया गया एवं 1000.00 (एक हजार वर्गगज) वर्गगज से अधिक होने के कारण राज्य सरकार को अनुमति हेतु प्रेषित किया जा जावे।	निदेशक (नगर आयोजना)	
0.26	97.26	1. प्राधिकरण विभिन्न बैठकों में बैठक की सूचना भिजवाये जाने के पश्चात् भी बैठक में अनुपस्थित विभागों के सदस्यों के खिलाफ कार्यवाही बाबत। 2. प्राधिकरण की चिन्हित 56 हजार बीघा सरकारी भूमि के सम्बन्ध में।	1. विचारविमर्श पश्चात् बैठक में निर्णय लिया गया कि जिन विभागों और संस्थाओं के अधिकारी नोटिस के बावजूद आज की बैठक में उपस्थित नहीं थे उनके खिलाफ कार्यवाही के लिये सम्बन्धित विभागों के विभागाध्यक्षों को लिखा जावे। 2. विचारविमर्श पश्चात् बैठक में सुझाया गया कि जयपुर विकास प्राधिकरण सीमा में लोगों को सस्ते आवासीय भूखण्ड उपलब्ध कराने की दृष्टि से जयपुर विकास प्राधिकरण आवासीय कॉलोनी विकसित करने के काम फिर से हाथ में ले। इस काम के लिये जविप्रा द्वारा जिला	सचिव विशेषाधिकारी भूमि	

4/10/27/9/05

क्र.स.	ए.सं.	विषय	सुझाव / निर्णय	सम्बन्धित अधिकारी	अनुपालना
			प्रशासन के सहयोग से चिन्हित की जा रही 56,000 हजार बीघा सरकारी भूमि में से कुछ भूमि का उपयोग करने का किसानों से राजीनामों एवं निगोशिएशन के आधार पर भूमि क्रय करने की सम्भावना का पता लगाने का निर्णय लिया गया।		

बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।


 सचिव 27/9/05

जयपुर विकास प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की 97वीं बैठक दिनांक 27.9.2005 को प्रातः 10.00 बजे जयपुर विकास प्राधिकरण के सभा कक्ष 'मंथन' में श्री जगदीश चन्द्र, जयपुर विकास आयुक्त की अध्यक्षता में आयोजित की गई।
उपस्थिति निम्न प्रकार :-

क. सं.	नाम, सदस्य / अधिकारी	पद	विभाग	
1.	श्री जगदीश चन्द्र	आयुक्त	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।	अध्यक्ष
2.	श्री हनुमान सिंह भाटी	सचिव	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	सदस्य
3.	श्री एच. आर. कुड़ी	निदेशक (विधि)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	सदस्य
4.	श्री एस. सी. सोनी	निदेशक (अभियांत्रिकी)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	सदस्य
5.	श्री एस. सी. महागांवकर	निदेशक (आयोजना)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	सदस्य
6.	श्रीमती कौमुदी गुप्ता	निदेशक (वित्त)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	सदस्य
7.	श्री इदेश कुमार शर्मा	कार्यकारी निदेशक	राजस्थान पर्यटन विकास निगम	सदस्य
8.	श्री एस. के. वंसल	अधीक्षक अभियन्ता	जयपुर विद्युत वितरण निगम लि.	सदस्य के प्रतिनिधि
9.	श्री डी.आर. चौहान	अति. मुख्य अभियन्ता	सार्वजनिक निर्माण विभाग	सदस्य के प्रतिनिधि
10.	श्री आर. किशनानी	अधीक्षण अभियन्ता सिटी सर्किल	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग	सदस्य के प्रतिनिधि
11.	कंलाशदान रतू	उपपुलिस अधीक्षक	वृत्ताधिकारी आदर्श नगर	सदस्य के प्रतिनिधि
अन्य अधिकारी उपस्थित				
12.	श्री लोकनाथ सोनी	अतिरिक्त आयुक्त (पश्चिम)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
13.	श्री राजेन्द्र प्रसाद शर्मा	उपायुक्त जोन-12	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	

हस्ताक्षर 27/9/05

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

क्रमांक प-2(96)/जविप्रा/उपा./जान-12/2005/

दिनांक:

प्रतिलिपी निम्न को अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न है:-

क.स.	पद	विभाग का नाम
1.	निजी सचिव, माननीय राज्य मंत्री महोदय	नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान सरकार।
2.	महापौर	जयपुर नगर निगम।
3.	ज़िला प्रमुख	ज़िला परिषद, जयपुर।
4.	अध्यक्ष	राजस्थान आवासन मण्डल।
5.	शासन सचिव	नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6.	आयुक्त	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
7.	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक	रीकों, जयपुर।
8.	प्रबन्ध निदेशक	राजस्थान पर्यटन विकास निगम, जयपुर।
9.	प्रबन्ध निदेशक	राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर।
10.	जिला कलेक्टर	जिला कलेक्टर, जयपुर।
11.	मुख्य कार्यकारी अधिकारी	नगर निगम, जयपुर।
12.	पुलिस अधीक्षक	पुलिस विभाग, जयपुर।
13.	सचिव	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
14.	मुख्य नगर नियोजक	नगर नियोजन, राजस्थान, जयपुर।
15.	मुख्य अभियन्ता	सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर।
16.	मुख्य अभियन्ता	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर।
17.	मुख्य अभियन्ता	जयपुर विद्युत वितरण निगम लि. जयपुर।
18.	निदेशक (विधि)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
19.	निदेशक (अभियांत्रिकी)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
20.	निदेशक (परियोजना)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
21.	निदेशक (आयोजना)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
22.	निदेशक (वित्त)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
23.	अतिरिक्त आयुक्त पूर्व/पश्चिम /प्रशासन	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
24.	वरिष्ठ नगर नियोजक (प्रोजेक्ट)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
25.	निदेशक (जन-सम्पर्क)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।


 सचिव 27/9/05